

12/10/22

अधिवक्तागण उपस्थित। अवाब स्टेट वेश
गही करने पर बन्द किया जाता है। बतस
उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गरी बतस
पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का
संतुलन, राइट एंव टाइटिल प्रार्थी के पक्ष में
बनना पाया जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण
में दिनांक 31/8/2016 को जारी अस्थायी
निषेधाज्ञा भूलवाद के विषय तक स्थायी की
जाती है। पत्रावली विनिति होकर गम्बर
से कम होकर भूलवाद के साथ संलग्न की



गणेश अधिवक्ता (राजस्व)
श्री कथपुर